

EWS छात्रों के लिये नशुलक कोचगि

चर्चा में क्यों?

हाल ही में श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन ने छत्तीसगढ भवन एवं अन्य नरिमाण श्रमकि कलयाण बोर्ड के पंजीकृत लाभार्थियों को लक्षति करते हुए मुख्यमंत्री नरिमाण श्रमकि के बच्चों हेतु नशुलक कोचगि सहायता योजना शुरु करने की घोषणा की।

- इसमें राज्य के 10 ज़िलों में [आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग](#) के बच्चों को नशुलक कोचगि प्रदान की जाएगी।

मुख्य बद्दि:

- इस योजना के तहत, पंजीकृत श्रमकि और उनके बच्चे अपनी शैक्षणिक योग्यता के अनुसार 4 से 10 महीने की अवधि के लिये [नशुलक कोचगि](#) का लाभ उठा सकते हैं।
 - इस कोचगि में लोक सेवा आयोग (PSC), छत्तीसगढ व्यावसायिक परीक्षा मंडल, कर्मचारी चयन आयोग और बैंकगि, रेलवे तथा पुलसि भरती सहति वभिन्न परीक्षाएँ शामिल हैं।
- पंजीकृत श्रमकि (जनिकी मृत्यु 9 जून, 2020 से पहले हो चुकी है) के बच्चे पछिली अधसूचनाओं के अनुसार इस योजना के लिये पात्र हैं।
 - जबकि नरिमाण श्रमकि मृत्यु एवं दवियांग सहायता योजना से जुड़े लोग भी इस पहल का लाभ उठाने के लिये आवेदन कर सकते हैं।
- कोचगि हाइब्रिड मोड में उपलब्ध कराई जाएगी, जो उन छात्रों के लिये आसान होगी जो दूरस्थ रूप से ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं या अगर वे पारंपरिक अधगम के इच्छुक हैं तो ऑफलाइन क्लास भी ले सकते हैं।
 - दस ज़िलें शामिल हैं- रायपुर, बलिसपुर, दुर्ग, धमतरी, राजनांदगाँव, कोरबा, रायगढ, जांजगीर-चांपा, महासमुंद।

नरिमाण श्रमकि मृत्यु एवं दवियांग सहायता योजना

- इसे छत्तीसगढ राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2020 में शुरु किया गया था। इस योजना से नरिमाण श्रमकि की मृत्यु या वकिलांगता के बाद उनके परिवारों को वत्तीय लाभ मलि सकेगा।
- पात्रता:
 - 18 से 60 वर्ष की आयु के नरिमाण श्रमकि पात्र होंगे।
 - नरिमाण श्रमकि को भवन एवं अन्य नरिमाण श्रमकि (रोज़गार एवं सेवा शर्तों का वनियमन) अधनियम, 1996 की धारा 12 के अंतर्गत लाभार्थी के रूप में पंजीकृत होना चाहिये।
- लाभ:
 - सामान्य मृत्यु पर- ₹ 1,00,000
 - कार्य स्थल पर मृत्यु- ₹ 5,00,000
 - कार्य स्थल पर स्थायी वकिलांगता- ₹ 2,50,000